न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 27/2013

राजरानी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति अग्रवाल निवासी श्रीगंगानगर। —अपीलांट

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेंन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर
दिनांक 27.02.2013

उपस्थिति—
श्री सुभाष मिढा अभिभाषक अपीलांट
श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 23/7/19

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट पेश कर कथन किया कि अप्रार्थी राजरानी पत्नी राजेन्द्रप्रसाद जाति अग्रवाल नि. 47 ई ब्लॉक श्रीगंगानगर का चक 1 एफ छोटी के मु.नं. 14 कि.नं. 4 व 5 की कुल 0.406है0 नहरी रकबा खातेदारी जमाबंदी में दर्ज अभिलेख है। अप्रार्थी उक्त भूमि पर अवैध निर्माण कर/अकृषि कार्य के लिये/के लिए उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा खातेदारी शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल किया जाकर रकबा राज्यहित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमावे।

(A) अप्रार्थी के उपस्थित नहीं आने पर राज पैरोकार की बहस सुनकर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 27.02.2013 को स्टेट का प्रकरण स्वीकार करते हुए उक्त विवादित भूमि को अधिग्रहण कर बहक सरकार घोषित करने के आदेश दिये।

(B) अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथीत होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश में रेस्पों. ने 177 आर.टी. एक्ट का दावा पेश कर 212 आर.टी.एक्ट का आवेदन पत्र देकर रिसीवर कायमी के लिए निवेदन किया कि विवादित भूमि पर काश्त कर कर व्यवसायिक उपयोग किया है। राज.काश्त.अधि. की धारा 177 आर.टी.एक्ट की उल्लंघना की है।अधी. न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अपीलांट को कोई विधिवत नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। 177 आर.टी.एक्ट मे रकबा खारिज नहीं किया जा सकता। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अधी. न्यायालय में प्रस्तुत प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधी. न्यायालय ने विधिसम्मत पारित किया है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) इस मामले में अधी. न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत 24.02.2012 को दर्ज प्रकरण में निर्णय दिनांक 27.02.2013 को दिया गया।

(b) प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर को प्रस्तुत रिपोर्ट 25.05.2011 के अनुसार विवादित भूमि राजरानी के नाम से खातेदारी दर्ज है और अब गैर कृषि कार्य के रूप में प्रयोग हो रहा है और मौका पर इस भूमि पर पक्की सड़क का निर्माण कर लिया है तथा सम्वत् 2064 से काश्त नहीं की जा रही है।

अपीलांट का यह तर्क कि धारा 177 आर.टी.एक्ट में भूमि से Ejectment का प्रावधान है नाकि भूमि को Resume करने का, नितांत अस्वीकार योग्य है। क्योंकि भूमि Ejectment होने पर ही भूमि राज्यहित में Resume होगी। Ejectment और Resume एक ही घटना के सम्पार्श्वी परिणाम है। दोनों अलग–अलग नहीं है। क्योंकि delequent tenent ने अपने कृत्य से ही स्वतः ejectment का दायी बनाया जिसका स्वाभाविक परिणाम भूमि का Resume होगा।

जहां अपीलांट का कृत्य कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ बिना सक्षम अनुमति रूप परिवर्तन कर भूमि की प्लाटिंग आदि कर उसे बेचान करके खुर्द बुर्द करने का उद्देश्य उसके द्वारा किये गये कृत्यों से स्वतः स्पष्ट है। तत्पश्चात धारा 177 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के तहत की गयी सदभाविक राजकीय कार्यवाही को तकनिकी आधारों पर हतोत्साहित नहीं किया जा सकता। इससे कानून के विरूद्ध कार्य करने वाले व अनुचित रूप से भूमि के मूल उद्देश्य व अधिनियम की मूल भावना के विरूद्ध कार्य करने वाली वृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। कानून व न्याय की भावना इसकी अनुमति नहीं देती।

हम राजकीय अभिभाषक के तर्क से सहमत है कि इस प्रकार के बहुत से प्रकरण इस न्यायालय में अनावश्यक रूप से अपील में विचाराधीन है। ऐसे मामलों में कदाचारी का उद्देश्य होता है कि अपील अनावश्यक रूप से अनिर्णित विचाराधीन रहे। ऐसे सभी मामलों की छंटनी कर के एक ही साथ विधितः विनिर्णय कर निस्तारित की जानी समाचीन है। इससे अधी. अधिकारियों के कानून के अनुसार सद्भावनापूर्ण कार्य करने की वृति को बल मिलेगा व अनावश्यक litigation की प्रकृति हतोत्साहित होगी।

यह स्पष्ट है कि अपीलांट को पर्याप्त अवसर व मौके थे, बावजूद उसकी भूमि पर निर्माण व अकृषि कार्य उपयोग तथा प्लाटिंग कर खुर्द–बुर्द करने का प्रयास किया। उसका यह कहना कि उसे सूचना व जानकारी नहीं थी नितांत असंगत कथन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के प्रावधान स्पष्ट है यदि कृषिजोत भूमि आवंटन शर्तों का उल्लंघन व अकृषि कार्य बिना सक्षम आदेश के किया जाता है या ऐसा पाया जाता है तो वह कानूनी, तकनीकि आधार पर मामलें में बचाव प्राप्त नही कर सकता। ऐसा करना कृषि भूमि का दुरूपयोग व कृषि भूमि के मूल उदेश्यों व काश्तकारी अधि. की मूल भावना के विरूद्ध होगा।

इस मामले में स्पष्ट है कि अपीलांट का कृत्य स्पष्टतः अकृषि प्रयोजनार्थ अनाधिकार भूमि का रूप परिवर्तन कर अनुचित लाभ प्राप्त करना व राज्य सरकार को हानि पंहुचाना था। अतः उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23/7/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर